भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1010

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ के मामले

1010. श्रीमती शशिकला पुष्पा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसी घुसपैठ का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पाकिस्तान और अन्य देशों से भी लगती सीमाओं पर बाड़ लगाये जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सभी सीमाओं पर बाड़ लगाने का समस्त कार्य पूरा हो गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो समस्त सीमाओं पर बाड़ कब तक लगा दी जाएगी?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) एवं (ख) : देश की भारत-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ संबंधी मामलों की सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 2013 के दौरान, घुसपैठ के 345 मामलों तथा वर्ष 2014 के दौरान, 268 मामलों की सूचना प्राप्त हुई। इस प्रकार, घुसपैठ के मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) : भारत सरकार द्वारा भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश तथा भारत-म्यांमार सीमा पर 10 किमी. के छोटे हिस्से में बाड़ लगाने को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमाओं पर लगाई गई बाड़ का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सीमा	स्वीकृत बाड़ (किमी.)	बाड़ लगाने संबंधी कार्य पूरा किया गया (किमी.)
भारत-पाकिस्तान	2043.63	1958.00
भारत-बांग्लादेश	3326.14	2827.92
भारत-म्यांमार	10.00	4.00

<pre>

भारत-बांग्लादेश सीमा तथा भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्वीकृत बाड़ लगाने संबंधी कार्य क्रमश: 31 मार्च, 2014 तथा 31 मई, 2012 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। तथापि, ये कार्य भूमि के अधिग्रहण में विलंब, पर्यावरण स्वीकृति में विलंब, लोगों के विरोध, मुकदमेबाजी, दुर्गम क्षेत्र, जलप्लावित/जल-भराव/दलदली क्षेत्रों जैसी विभिन्न रुकावटों आदि के कारण आगे बढ़ गया। भारत-म्यांमार सीमा पर लोगों के विरोध के कारण यह कार्य रोक दिया गया है । इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों के नदीय, नीचे, जल-भराव तथा दलदली वाले क्षेत्र होने के कारण समस्त सीमा पर बाड़ लगाना व्यवहार्य नहीं है।

</pre>

*****